

महायता थी गई है प्रचवा देने का विचार है ;
घोर

(ख) यदि हां, तो कितनी?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री
(डा० बीवति चन्द्रशेखर) : (क) घोर (ख).
राष्ट्रीय जल पूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के
अन्तर्गत राज्य सरकारों को ग्राम जल पूर्ति
योजनाओं पर हुए खर्च का 50 प्रतिशत तक
अनुदान दिये जाते हैं ।

1966-67 में राजस्थान सरकार को
ग्राम जल पूर्ति योजनाओं के लिए 15 लाख
रुपये अतिरिक्त दिये गये । उनमें से 2.5 लाख
रुपये उस राज्य के यथावश्यक क्षेत्रों में
योजनायं खाने के लिए थे, निर्धारित किये
गये थे उस उद्देश्यक व्ययका के अतिरिक्त
1965-66 और 1966-67 में बिल पत्रा-
लय ने राजस्थान सरकार को महायता कार्यों
के लिए 5 करोड़ रुपये का ऋण भी एक कराड़
रुपये का अनुदान भी दिया । यह रकम इन
क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था करने पर भी खर्च
हो सकती थी ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम
जातियों के क्षेत्रों के लिए छात्रवृत्तियां

1878. श्री प० सा० बाबुवाल :
क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने को
रूपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुओं के अतिरिक्त मुसल-
मानों तथा ईसाइयों के कुछ वर्गों के लोग अनु-
सूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम
जातियों के विद्यार्थियों में शामिल हैं, जिन्हें
केन्द्रिय सरकार तथा राज्य सरकारें
छात्रवृत्तियां देती हैं ; घोर

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री
(बीवती कूलरेवु गुह) : (क) घोर (ख).
अनुसूचित जातियों को उल्लिखित करने वाले

क्षेत्रों के छात्रवृत्तियों के निमित्त ऐसे किसी भी
व्यक्ति, जो हिन्दू या सिख धर्म के अतिरिक्त
किसी अन्य धर्म का अनुयायी हो, को अनु-
सूचित जाति का सदस्य नहीं समझा जायेगा ।
अनुसूचित आदिम जातियों के विषय में कुछ
ऐसी रुकावट नहीं है । किसी धर्म की कोई
जाति, जिसे अनुसूचित आदिम जाति उल्लि-
खित किया गया हो, उन सुविधाओं, जो अनु-
सूचित आदिम जातियों को मिलती हैं, के लिए
मांग कर सकती हैं । इन (सुविधाओं) में
छात्रवृत्तियां भी शामिल हैं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम
जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

1879. श्री प० सा० बाबुवाल :
क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की
रूपा करेंगे कि देश की विभिन्न संस्थाओं में
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित
आदिम जातियों के उन विद्यार्थियों
की छात्रवृत्ति की रकम न बढ़ाये जाने के क्या
कारण हैं जिन्हें 1952 से 600 रुपये वार्षिक
छात्रवृत्ति मिलती है जबकि मूल्य बहुत
अधिक बढ़ने की प्रवृत्ति के कारण बेलन क्रम
आदि लगातार बढ़ाये गये हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री
(बीवती कूलरेवु गुह) : छात्रवृत्तियों के दर
324 रुपये वार्षिक से 900 रुपये वार्षिक तक
हैं । दर इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र
वहीं निवास करता है या विद्यल-विद्यार्थी है
घोर या इस बात पर भी कि किस प्रकार का
अध्ययन करना है । इस प्रकार की छात्रवृत्तियां
पाने के हकदार विद्यार्थियों की संख्या तेजी से
बढ़ रही है ; इसलिये प्राप्त निधन को
देखने हुए छात्रवृत्तियों के दर घनी नहीं
बढ़ाये जा सकते ।

Vasectomy

1880. Shri Baburno Patel:
Shri Trilob Kumar Chaudhary:
Shri Jagannath Rao Joshi: